संख्या: 15/2021/49-3002/1/2021-3

प्रेषक:

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग- 3 लखनऊ : दिनांक अक्टूबर, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों के बिलों की बकाया अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-146/कृषि निवेश/बी-305, दिनांक 22 जून, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में पी0सी0एफ0 एवं अन्य सहकारी संस्थाओं के प्रतिपूर्ति हेतु विवरण सहित बिल/ प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए बकाया धनराशि रूपये 70.29 करोड़ के बिलों की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्वरक प्रीपोजीशनिंग योजनान्तर्गत रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक " 2425-सहकारिता-800-अन्य व्यय-05-रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना 27-सब्सिडी की मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग रूपये 130.00 करोड़ की देयताओं का सृजन हुआ है, जिसके सापेक्ष बजट प्रावधानित धनराशि रूपये 150.00 करोड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 की लम्बित देयताओं के सापेक्ष प्रथम चरण में रूपये 1672.10 लाख की निम्न विवरण एवं शर्तों के अनुसार राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

संस्था का नाम	वर्ष	मद	लम्बित देयता	प्रस्तावित स्वीकृति
पी.सी.एफ.	2016-17	मूल्य में कमी	5010.38	1000.00
पी.सी.एफ.	2017-18	परिवहन	639.86	639.86
अन्य सहकारी संस्था	2017-18	परिवहन	32.24	32.24
योग			5682.48	1672.10

(1) आपूर्ति किये गये उर्वरकों की मात्रा, देय धनराशि तथा धनराशि की देयता एवं योजना के औचित्य आदि के निर्धारण का दायित्व प्र0वि0 का होगा।

(2) प्र0वि0 द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उर्वरकों का समय से बहुत पहले भण्डारण न किया जाय जिससे अनावश्यक रूप से ब्याज एवं भण्डारण शुल्क की देयता निर्धारित हो।

(3) ब्याज दर की देयता न्यूनतम दरों पर निर्धारित की गयी है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) भण्डारण शुल्क के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता न्यूनतम दरों पर तथा सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार है।

(5) परिवहन मद के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता सक्षम स्तर द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अनुमन्य दरों के आधार पर है।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी मद (ब्याज, भण्डारण शुल्क एवं परिवहन) के भुगतान में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।

(7) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देश/गाइडलाईन्स के अनुरूप है।

(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के संचालन हेतु व्यय को बजट प्रावधान की सीमा तक सीमित रखा जायेगा।

(9) धनराशि के व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021-बी-1-375-दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित निर्देशों के परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व प्रशा0 विभाग द्वारा देयताओं का पुनः मिलान करते हुए देयताओं के नियम संगत पाये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक "2425-सहकारिता-800-अन्य व्यय-05-रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना- 27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- यू0ओ0-ई-2-1655/दस-2021-22, दिनांक 20.10.2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

यह आदेश पूर्व में ई-ऑफिस पर फाईल नं0-49-3002/1/2021-3, दिनांक 21.10.2021 द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसे यथावत् पढ़ा जाय।

भवदीय

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

संख्या: 15/2021(1)/49-3002/1/2021-3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
(6) वेब मास्टर, कार्यालय, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डॉ0 दीपक कोहली
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in